181 21 सीपीएसई द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से कार्यपालकों को वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियों) अथवा वेतन संशोधन की स्वीकृति

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। न्यायाधीश मोहन समिति (पहली वेतन संशोधन समिति) की सिफारिशों के आधार पर सीपीएसई के कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतनमान 10 वर्ष की अवधि के लिए 01.01.1997 से संशोधित किए गए थे। तदनुसार अगला वेतन संशोधन 01.01.2007 से देय हो गया है, जिसके लिए सरकार ने न्यायाधीश एम जगन्नाधा राव की अध्यक्षता में 30.11. 2006 को दूसरी वेतन संशोधन समिति (2nd पीआरसी) गठित की थी। द्वितीय पीआरसी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 30.05.2008 को प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट को इस विभाग की वेबसाईट पर डाला गया।

2. अभी हाल ही में ऐसा देखा गया है कि कुछ सीपीएसई ने अपने कार्यपालकों को भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियां) स्वीकृत की हैं और/अथवा उनके वेतन में वृद्धि की है। सीपीएसई के कार्यपालकों के वेतन संशोधन पर सरकार द्वारा अभी आदेश जारी किए जाने हैं। जब सीपीएसई के कार्यपालकों के वेतन संशोधन के संदर्भ में निर्णय अभी लिया जाना है, तो ऐसी स्थिति में भूतलक्षी प्रभाव से सीपीएसई ने कार्यपालकों/गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के संदर्भ में वेतन वृद्धि/बिना बारी के वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियां) स्वीकृत करने संबंधी कोई भी आदेश समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के प्रतिकूल हैं। इसके अलावा यह सीपीएसई, जो वेतन संशोधन के संदर्भ में सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है, में कार्यरत कार्यपालकों के हितों के प्रतिकूल भी है। संबंधित सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा सीपीएसई के मुख्य कार्यपालकों और सीपीएसई के निदेशक मंडल में नामित सरकारी निदेशकों को इस आशय के कड़े अनुदेश जारी किए जाएं कि सीपीएसई के निदेशक मंडल द्वारा ऐसे कोई भी निर्णय न लिए जाएं।

3. यह सचिव, डीपीई के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (56)/2008–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**X/08,** दिनांक 16 सितम्बर, 2008)

*****